

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर – 302018
www.rsmssb.rajasthan.gov.in

दूरभाष नं.-0141-2722520

क्रमांक : प.8(38) प.आ./ RSMSSB /संगणक/ 2018/३१

दिनांक : 26/04/2018

विज्ञापित

राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम-1971 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम,2014 के अन्तर्गत आयोजना विभाग (आर्थिक एवं सांख्यिकी) के लिए गैर अनुसूचित एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए संगणक के पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 01/2018 दिनांक: 20.02.2018 द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे ।


उक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दिनांक: 05.05.2018 (शनिवार) को प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे के मध्य सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जावेगा ।

उपरोक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि :-

1. आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय के उक्त विज्ञापन संख्या 01/2018 दिनांक: 20.02.2018 के अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय संगणक पद के लिए निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं ।
2. "प्रोविजनल ई- प्रवेश पत्र" बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in से दिनांक: 28.04.2018 से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें । बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे ।
3. परीक्षा केन्द्र पर प्रातः 09.30 बजे अपनी उपस्थिति दे देवें ताकि तलाशी के उपरान्त आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।
4. परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। अतः परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के किसी झाँसे/बहकावे में नहीं आवें। नकल करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करें। नकल करने के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका करियर समाप्त हो सकता है।
5. परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र यथा वोटर आई.डी.कार्ड, पेनकार्ड, ड्राइविंग लायसेन्स आदि में से कोई एक एवं उसकी फोटो प्रति और 2.5cm×2.5cm साईज का नवीनतम एक रंगीन फोटो, एक नीली स्याही का पारदर्शी बाल पैन साथ लेकर आवें। उक्त सामग्री के अलावा अन्य सामग्री के साथ परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

6. परीक्षा केन्द्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी के उपरान्त ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें।
7. परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवें।
8. परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पैन के अलावा अन्य किसी प्रकार का पैन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमैट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती/पैड/गत्ता, पैनड्राइव, रबर, लॉगटेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाईड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। केन्द्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।
9. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए निम्नानुसार ड्रेस कोड लागू की गयी है:-
 - (1) पुरुष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के शर्ट /टी-शर्ट, पैन्ट एवं हवाई चप्पल /स्लीपर पहन कर आयेंगे।
 - (2) महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता /ब्लाउज, हवाई चप्पल /स्लीपर पहन कर एवं बालों में साधारण रबड़ बैंड लगा कर आवेंगी।
 - (3) परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।
 - (4) परीक्षार्थियों को लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रासलेट आदि पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी।
 - (5) परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, जूते/सैण्डल, मौजे, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।
 - (6) यदि किसी वस्तु को पहनकर आने या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में कोई संदेह/विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
10. रेल/बस की छत या पायदान पर बैठकर / खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केन्द्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें। अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।
11. ऐसे विशेषयोग्यजन परीक्षार्थी जिन्हें नियमों में श्रुतलेखक देय है, परीक्षा दिवस से तीन दिन पूर्व सक्षम चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक को श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ अनुरोध कर दें अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं होगा।

12. परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी । परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घण्टे की अवधि में प्रश्न पत्र / उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमन्त्रित की जावेगी । प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क रू. 100/- (रू. एक सौ मात्र) निर्धारित प्रक्रिया से जमा कराना होगा अन्यथा आपत्ति रजिस्टर नहीं होगी ।
13. परीक्षा केन्द्र के संबंध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियंत्रण कक्ष जिनके दूरभाष नम्बर बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध है, से सम्पर्क किया जा सकता है।
14. परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें । बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे ।
15. नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें ।


(मुकुट बिहारी जागड़)
सचिव